संख्या : — /जी0एस0/शिक्षा/A11-175/2021

प्रेषक,

बृजेश कुमार सन्त
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 18 अगस्त, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 2324/SDSUV/Aff/2020-21 दिनांक 17–07–2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज, इकबालपुर रोड़, नियर शास्त्रीपुरम्, रूड़की को बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता पर मा0 कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में सत्र दर सत्र के आधार पर कार्योत्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	मोहनी देवी डिग्री कॉलेज, इकबालपुर रोड़, नियर शास्त्रीपुरम्, रूड़की	1–बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र 2–बी0ए0 (गृह विज्ञान) 3–बी0कॉम	60 सीट प्रति विषय 40 सीट 60सीट	सत्र 2020–21

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(ii) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

(iii) विश्वविद्यालय संस्थान में पुस्तकालय, फर्नीचर, एवं प्रयोगशाला मानकानुसार पूर्ण कराते हुये U.G.C विनियमानुसार नवीन सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर संस्थान में उपलब्ध फैकल्टी का अनुमोदन करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होगें।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1334 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-175/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।